



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bseabih.nic.in

पत्रांक : नि.प्रा०/ नि० 1-12/ 2012

1329

/पटना, दिनांक

16/06/2020

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।
सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०) ,
सारण एवं सासाराम।

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (संस०),
मढौंरा एवं डिहरी।

विषय : सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लिं० की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निर्बंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०) एवं अधिसूचना संख्या 6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (संस०) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित कुल दो सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ की प्रबंधकारिणी कमिटी का निर्वाचन सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है।

4. सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ की उपविधि की कंडिका 5 एवं 8 में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई समिति संघ का सदस्य बन सकती है या अयोग्य घोषित की जा सकती है।

5. मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने 31.05.2020 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसी समितियां, जो 31.05.2020 तक संघ के सदस्य बन चुके हैं, के नाम ही अन्य शर्तों के अधीन मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निर्मांकित निदेश दिये जाते हैं :-

- (i) संबंधित सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ के सचिव/ प्रशासक (अधिक्रमित समितियों के मामले में) संलग्न प्रपत्र-1 में तीन प्रतियों में मतदाता सूची तैयार कर अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को संबंधित सचिव/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। मतदाता सूची तैयार करने में इस बात को विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य को अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र-1 के स्तंभ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। संघ के स्तर पर तैयार की गई यह प्राथमिक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 20.06.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संघ की मतदाता सूची अपनी देख-रेख में तैयार कराये।
- (ii) सचिव/ प्रशासक द्वारा समर्पित मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जांच जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जांचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 22.06.2020 तक संबंधित संघ के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हैं।
- (iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र एम-2 में निर्गत की जायेगी।

6. सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
1	सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघों के सचिव/ प्रशासक द्वारा प्रपत्र-1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	20.06.2020
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	22.06.2020
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	24.06.2020
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	24.06.2020
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	04.07.2020 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	09.07.2020

7. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघों के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

8. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित संघ की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25.06.2020 तक सूचनाएँ एकत्रित कर दिनांक 26.06.2020 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को समेकित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

9. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं (समितियों) का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी समिति का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र एम-3 में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित किसी विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र एम-4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं समितियों द्वारा दी जायेगी, जो सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति/ समिति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।

10. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

11. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही सम्यक् आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। मतदाता सूची से नाम विलोपित किये जाने के मामले में आपत्तिकर्ता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में आपत्ति पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। इसी तरह मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/ शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ-ही-साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

12. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र एम-5 में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप प्रपत्र एम-6 पर देखा जा सकता है।

13. संबंधित सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial)

अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

14. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करें, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखें।

15. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची पाँच प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹1.50 प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।

16. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ के सचिव/ प्रशासक को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

17. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। दिनांक 11.07.2020 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र एम-7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र एम-7 में ही निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित करेंगे एवं इसे उसी प्रपत्र में फैक्स या विशेष दूत द्वारा दिनांक 13.07.2020 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

18. लॉक डाउन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अंदर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा इनपर सुनवाई के समय एक दूसरे व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन
२६/६/२०२०

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1329

/ पटना, दिनांक 16/06/2020

प्रतिलिपि- जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण एवं सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने स्तर से भी उपर्युक्त निर्देश की जानकारी संबंधित समिति को देंगे तथा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

1329/16/06/2020
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1329

/ पटना, दिनांक 16/06/2020

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1329/16/06/2020
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1329

/ पटना, दिनांक 16/06/2020

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1329/16/06/2020
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1329

/ पटना, दिनांक 16/06/2020

प्रतिलिपि- मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सभी प्रशास्त्रा पदाधिकारी/ सांखियकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1329/16/06/2020
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
1	सारण	मढौरा	मढौरा सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि0, मढौरा
2	सासाराम	डिहरी	सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि1

सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ का निर्वाचन

प्रपत्र- 1

सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची

जिला का नाम : सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ का नाम :

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीमेट/ प्रतिनिधि*	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा।